

23/06/18

पत्रावली आज राजस्व कैम्प कोर्ट बावड़ी में
पेश हुई। पत्रावली का ध्यान पूर्वक भवलेसन
किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा बार-बार
निर्देश दिए जाने के बावजूद वही गणद्वारा
अतिवादीगणके सम्मन पेश नहीं करने के कारण
उक्त वाद अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 CPC
के तहत खारिज किया जाता है।

पत्रावली केसल शुमार होकर दाखिल
दफ्तर हो। निर्णय आज कैम्प कोर्ट बावड़ी
में खुले न्यायालय में मुजमे आम सुनाया गया।

(चंचल वर्मा)

शिप्रिवर प्रमारी अधिकारी
रा. लो. अ. अ. नि. न्याय आफके द्वार-2018
प्रथम उपसभ अधिकारी बावड़ी